न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 171/2025

अन्तर्गत धारा :– तरमीम दुरूस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.8.25	प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्री जगरूपराम निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सालावास के खसरा नंबर 159, 159/1, 159/2 की डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन नक्शे में अशुद्ध तरमीम करने पर मौके पर कब्जा काश्त एवं आपसी सहमति अनुसार ऑनलाईन नक्शे में तरमीम शुद्ध करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र की जांच हेतु तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2025/223 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/1920 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालावास के खसरा संख्या 159 का विभाजन नामान्तरकरण संख्या 839 के जरिये खसरा संख्या 159 मि. रखबा 5–16 बीघा खसरा संख्या 159 मि. रकबा 6–06 बीघा, खसरा संख्या 159 मि. रकबा 17–07 बीघा, खसरा संख्या 159 मि. रकबा 5–06 बीघा दर्ज किया गया। नक्शा लट्ठा में खसरा संख्या 159 मूल दर्ज है इसके बट्टा नम्बरान की तरमीम दर्ज नहीं है। खसरा संख्या 159, 159/1, 159/2 की DILRMP प्रोजेक्ट के तहत् ऑनलाइन दर्ज तरमीम नक्शा वर्तमान मौका स्थिति कब्जा–काश्त के नजरी नक्शा से भिन्न है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ग्राम–सालावास के खसरा संख्या 159, 159/1, 159/2 की ऑनलाइन नक्शे में दर्ज तरमीम को मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी रिपोर्ट अनुसार ग्राम सालावास खसरा संख्या 159, 159/1, 159/2 की राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सालावास खसरा संख्या 159, 159/1, 159/2 की तरमीम को राजस्व रेकर्ड में मौका पर कब्जाकाश्त के अनुसार तहसीलदार जांच रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द दिनांक 03.06.2025 के अनुसार शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। मौका फर्द दिनांक 03.06.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	